

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ. 8 (8) त.शि.2012/

जयपुर, दिनांक 10-01-18

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
जोधपुर,
कुल सचिव
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय
कोटा।
प्राचार्य
राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय
अजमेर/महिला अजमेर/बीकानेर/सीईटी
बीकानेरी/बांसवाडा/झालावाड/भिलवाडा/भरतपुर

विषय:- समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निदेशानुसार लेख है कि प.13 (76) कार्मिक /क-1/गो.प्र. /2011 दिनांक 27 दिसम्बर 2017 के परिपत्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है उक्त परिपत्र के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

G.E.C., AJMER
Office of Principal

Out.No. 3988...

Date... 17 JAN 2018

Sig.

Sh. Gyan Singh

Pl. take my Prop. details
from "Principal's page" and
fill -

17/1/18

भवदीया,

(एम.एम. सेतिया)

संयुक्त सचिव त0शिक्षा

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव
उच्च एवं मध्यम शिक्षा विभाग
समन्वय, राजस्थान एवं संयुक्त शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
हाथरी संख्या 7621
दिनांक 27/12/17

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग
प्राप्ति संख्या 41
दिनांक M 04/01/18

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

कमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011

जयपुर, दिनांक: 27 DEC 2017

---परिपत्र---

विषय:- समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरने के सम्बन्ध में।

CCE/IDTE/DSE
JSH/E4/JSTE/DSS/E

4

28/12/17

राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान है। कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर समस्त प्रशासनिक विभागों को उनके अधीन कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पत्ति विवरण उनके विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संयुक्त शासन सचिव व शासन सचिव, कार्मिक विभाग की ओर से अर्द्धशासकीय पत्र लिखे जाने के उपरान्त भी प्रशासनिक विभागों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी, राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पत्ति विवरण कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं कराये गये।

अतः सभी प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि इस संबंध में संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों को इन बिन्दुओं की पालना करने हेतु सुनिश्चित करावे:-

1. राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं अधिकारी द्वारा पूर्ति कराई जानी है।
2. प्रशासनिक विभागों द्वारा यह निर्देशित किया जावे कि उनके अधीन समस्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय में अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर पूर्ति करने का निर्देश प्रदान करे। वर्ष 2018 से टंकित/हस्तलिखित अचल सम्पत्ति विवरण स्वीकार योग्य नहीं है।
3. जो अधिकारी अपना अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना प्रस्तुत नहीं करेंगे, कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प. 13(76)का./क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 के तहत प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावेगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम स्वायत्तशासी संस्थाओं उपक्रमों पर भी लागू है।
4. सभी अधिकारियों द्वारा वर्ष 2017 (01 जनवरी 2018 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण व उसके पश्चातवर्ती वर्षों का अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है।
5. अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE में भरने की समय सीमा 31 जनवरी है, 31 जनवरी पश्चात IPR MODULE पर अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरे जायेंगे।

TSU

3/11

4/11

21/11

